


(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त निला कलक्टर मुकाम मुसुब
खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव बनाम श्री पवन राठौड़ पुत्र श्री सत्यनारायण
किस्म मुकदमा FSSAI Act 2006 नं. 14 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/5/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं संपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.06.2022 को पेश हो। 	
28/6/22	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मेरे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा पेश जबाब प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है, कि उसने सुभाष चौक मण्डावा, झुन्झुनू में मै0 राठौड़ स्वीट होम, के नाम से मिठाई की दुकान कर रखी है जहां वह मिठाई बनाकर बेचता है। जहां वह पेड़ा मिठाई (मावा मिठाई) भी बनाता है। इसमें उसने कोई मिलावट नहीं की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./244/एक्ट/2022/269/दिनांक 02.02.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ पेड़ा मिठाई (मावा मिठाई) में बाहरी पदार्थ (Foreign fat) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.ए की धारा 3 (1) (i) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 राठौड़ स्वीट होम में खाद्य पदार्थ पेड़ा मिठाई (मावा मिठाई) स्वयं तैयार कर बेचान करता है अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ पेड़ा मिठाई (मावा मिठाई) में बाहरी पदार्थ (Foreign fat) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री पवन राठौड़ पुत्र सत्यनारायण राठौड़, मै0 राठौड़ स्वीट होम, सुभाष चौक मण्डावा निवासी वार्ड नम्बर 09 मण्डावा, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 10000/- दस हजार रुपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत	452/15

A-994 तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------------------	-----------------------------------	---

करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

अति. जिला न्यायाधीश
 झुंझुनू

उपरोक्त प्रकरण
 नमूने कि माहौल
 प्रभावित कि समस्त
 प्रभु शिवा में

उपरोक्त
 मस्यु

उपरोक्त प्रकरण
 नमूने कि माहौल
 प्रभावित कि समस्त
 प्रभु शिवा में

उपरोक्त
 मस्यु

उपरोक्त प्रकरण
 नमूने कि माहौल
 प्रभावित कि समस्त
 प्रभु शिवा में

उपरोक्त
 मस्यु